न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 37/2022

श्री रमजान पुत्र श्री अहमद, जाति चीता, निवासी देवला की डांग राजौसी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

.....**रेस्पोडेन्ट**

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. नायब तहसीलदार अजमेर (लीव रिजर्व) पैरोकार सरकार

–: आदेश :–

दिनांक–19.02.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि सम्वत 2077 में श्री रमजान पुत्र श्री अहमद, जाति चीता, निवासी देवला की डांग राजौसी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ने ग्राम देवला की डांग के सिवायचक किस्म चाही 1 आराजी खसरा नम्बर 2947/6405 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से तारबन्दी कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 84/2021 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 13.05.2022 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। इसके अतिरिक्त उन्हे पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 3 माह के साधारण कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 13.05.2022 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 के नाम नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया। रेस्पो0 जरिये पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि पटवारी हल्का राजौसी की रिपोर्ट पर दिनांक 07.07.2021 को प्रकरण संख्या 234/21 दर्ज किया गया कि ग्राम देवला की डांग स्थित आराजी हाल खसरा संख्या 2947/6405 रकबा 0.10 पर गैर सायल रमजान व अमरूद पुत्रगण अहमद जाति चीता निवासी ग्राम देवला की डांग द्वारा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

अतिक्रमण किया गया है। गैर सायल द्वारा दिनांक 28.07.2021 को जवाब पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से दोबारा अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट मंगवाई जाकर प्रकरण संख्या 84/2021 दर्ज करते हुए दिनांक 08.04.2022 को अंतिम नोटिस जारी कर दिनांक 20.04.2022 नियत की गई। उक्त दिनांक को प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर सायलान के विरूद्ध दिनांक 11.05.2022 को गैर कानूनी, विधि विरूद्ध तरीके एवं मनमर्जी से दिनांक 20.04.2022 की पटवारी हल्का रिपोर्ट तैयार कर एवं अप्रार्थीगण की गैर हाजरी में बयान लेखबद्ध कर तीन माह की सिविल कारावास की सजा का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 234/2021 में अप्रार्थीगण के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई थी। उक्त तारीख पेशी का अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अंकन नहीं किया गया। बिना किसी मौका रिपोर्ट के मनमर्जी व मनमाने तरीके से बेदखली का आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी अमरूद की दिनांक 16.09.2021 को मृत्यु हो चुकी है एवं मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रकरण संख्या 84/2021 दर्ज कर शिकायतकर्ता सुखराज से मिलीभगत कर बिना आदेशिका के अंतिम नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.04.2022 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई कि राजस्व रेकॉर्ड में हाल खसरा सख्या 2947 अप्रार्थी रमजान का खातेदारी खेत है जिसकी किस्म चाही है एवं कोई रास्ता नहीं है तथा सिविल न्यायालय से प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रकरण में धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी अमरूद की मृत्यु लगभग 8 माह पूर्व ही हो चुकी थी एवं आक्षेपीय आदेश से उसे भी दण्डित कर दिया। तत्पश्चात पटवार हल्का से आवेदन प्राप्त कर पुनः गैर कानूनी तरीके से दिनांक 11.05.2022 के आदेश को रिव्यू कर अप्रार्थी अमरूद के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप कर अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 13.05.2022 को संशोधित निर्णय पारित करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो गैर कानूनी तरीके से विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य व साक्ष्यों को लेखबद्ध नहीं किया गया एवं बिना प्रोसिडिंग के गुणावगुण पर सुनवाई करने के बजाय गैर कानूनी तरीके से सम्पूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा माफ की जावे।

विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि पर तारबन्दी कर अतिक्रमण किया गया है एवं अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया जाने सम्बन्धी शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है एवं आक्षेपित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यान पूर्वक मनंन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर तारबन्दी कर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिचारी होना

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

सिद्ध होता है। जिस दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं है। अतः दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। अपीलान्ट ने खसरा संख्या 2947 उसकी खातेदारी आराजी होने का कथन किया है किन्तु प्रकरण में खसरा संख्या 2947 प्रश्नगत नहीं होकर खसरा संख्या 2947/6405 है जो कि किस्म चाही सरकारी भूमि है एवं आराजी पर अपीलान्ट अतिक्रमी के रूप में काबिज है। वकील अपीलान्ट का यह कथन भी असत्य एवं तथ्यों के विपरीत है कि सिविल न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में स्थगन आदेश पारित किया हुआ है जबकि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नसीराबाद द्वारा आराजी खसरा संख्या 2922/5981 गै0मु0 रास्ता बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया जाने व भविष्य में पुनः किसी राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 19.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

19/2

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर जिला कलक्टर,
अजमेर